रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042022-235019 CG-DL-E-09042022-235019

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] No. 273] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

सा.का.िन. 287(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रिजस्ट्रीकरण नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के, उपनियम (1) के, खंड (ज) में, उपखंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात :-
- "(v) कोई अन्य पदधारी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो उपर्युक्त किन्ही पदधारियों के कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य निष्पादित करता है।"
- 3. उक्त नियमों के, नियम 4 में उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात

2540 GI/2022 (1)

- (1क) प्राधिकरण, समय-समय पर, माल के प्रकार को अधिसूचित करेगा, जो परक्राम्य भाण्डागार रसीद की विषय वस्तु हो सकेगा।
- 4. उक्त नियमों के नियम 25 में, खंड (क) में "विनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर, "अधिसूचित", शब्द रखा जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, तीसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची

(नियम 5 और नियम 13 (3) देखें)

I. केवल कृषिगत माल के भंडारण हेतु भांडागारण के लिए रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए आवेदन फीस

रजिस्ट्रीकरण इकाई	फीस
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन तक है।	5,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन से अधिक है, किन्तु	7,500/- रुपए
1000 टन से कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 1,000 टन से अधिक है, किन्तु 2500 टन से कम या समान है	10,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 2500 टन से अधिक है, किन्तु 5,000 टन से कम या समान है	15,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 5,000 टन से अधिक है, किन्तु 10,000 टन से कम या समान है	20,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक है, किन्तु 25,000 टन से कम या समान है	25,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है।	30,000/- रुपए

टिप्पण: जहां आवेदक या भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी अथवा स्वयं सहायता समूह है, तो फीस 500 रुपये होगी।

II. कृषिगत तथा गैर कृषिगत दोनों माल के भंडारण वाले भांडागारों के लिए रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण हेतु आवेदन फीस:

रजिस्ट्रीकरण इकाई	फीस
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन तक है।	50,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक है, किन्तु 25,000 टन से कम या समान है	75,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है।	1,00,000/- रुपए "

6. उक्त नियमों में, सातवीं अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्

"सातवीं अनुसूची (नियम 18 (1) और नियम (2) देखें)

 I. केवल कृषिगत माल के भंडारण वाले भांडागारों के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की न्यूनतम शुद्धमालियत अपेक्षाएं

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ रुपए में)
500 तक	0.04
501-1,000	0.08
1,001-1,500	0.12
1,501-2,000	0.16
2,001-2,500	0.20
2,501-5,000	0.40
5,001-7,000	1.00
7,001-10,000	2.00
10,001-15,000	5.00
15,001-25,000	10.00
25,001-75,000	20
75,001-1,50,000	30
1,50,001-5,00,000	50
5,00,001 और इससे अधिक	100

टिप्पण: जहां आवेदक या भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी अथवा स्वयं सहायता समूह है, तो सारणी में विनिर्दिष्ट शुद्धमालियत अपेक्षा लागू नहीं होगी, लेकिन इसमें घाटा शुद्धमालियत नहीं होगा।

II. कृषिगत तथा गैर कृषिगत दोनों माल के भंडारण वाले भांडागारों हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम शुद्धमालियत अपेक्षाएं

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ रुपए में)
25,000 टन तक	10.00
25,001-75,000	20.00
75,001-1,50,000	30.00
1,50,001-5,00,000	50.00
5,00,001 और इससे अधिक	100.00"

[फा. सं. टीएफसी-04-2016] नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में सा. का. नि. संख्या 165 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा. का. नि. संख्या 1040 (अ) तारीख 22 अगस्त,

2017, सा. का. नि. संख्या 251 (अ) तारीख 20 मार्च, 2018 सा. का. नि. 782 (अ) तारीख 21 दिसंबर, 2020 तथा सा. का. नि. 786 (अ) तारीख 03 नवंबर, 2021 द्वारा और संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

- **G.S.R. 287(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (h), after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted namely:-
- "(v) any other official, by whatever name called, who performs the functions of any of the aforesaid officials or functions of a similar nature."
- 3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(1A) The Authority shall, from time to time, notify the type of goods that may be, the subject matter of a negotiable warehouse receipt".
- 4. In the said rules, in rule 25, in clause (a), for the word 'specified', the word "notified" shall be substituted.
- 5. In the said rules, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"The Third Schedule

[See rules 5 and 13 (3)]

I. Application fee for registration and renewal of warehouse storing only agricultural goods:

	_
Unit of registration	Fee
Each warehouse with a capacity of 500 Ton	Rs. 5,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 500 Ton but less than or equal to 1,000 Ton	Rs. 7,500/-
Each warehouse with a capacity of more than 1,000 Ton but less than or equal to 2,500 Ton	Rs. 10,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 2,500 Ton but less than or equal to 5,000 Ton	Rs. 15,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 5,000 Ton but less than or equal to 10,000 Ton	Rs. 20,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 10,000 Ton but less than or equal to 25,000 Ton	Rs. 25,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 25,000 Ton	Rs. 30,000/-

Note:-Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society or a Self Help Group, the fees shall be rupees five hundred.

II. Application fee for registration and renewal of warehouse storing both agricultural and non-agricultural goods:

Unit of Registration	Fee
Each warehouse with a capacity of upto 10,000 Ton	Rs. 50,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 10,000 Ton but less than or equal to 25,000 Ton	Rs. 75,000/-

Each warehouse with a capacity of more than 25,000 Ton

Rs. 1,00,000/-"

6. In the said rules, for the Seventh Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Seventh Schedule [See rule 18 (1) and (2)]

I. Minimum net worth requirements of applicant for registration of warehouse storing only agricultural goods:

Storage capacity (in Tons)	Net worth (Rupees in crores)
Upto 500	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 – 2,000	0.16
2,001 – 2,500	0.20
2,501 – 5,000	0.40
5,001 – 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2.00
10,001 – 15,000	5.00
15,001 – 25,000	10.00
25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 and above	100

Note:- Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society or a Self Help Group, the net worth requirement specified in the Table shall not apply, but it shall not have deficit networth.

II. Minimum net worth requirements of applicant for registration of warehouse storing both agricultural and non-agricultural goods:

Storage Capacity (in Tons)	Net worth (Rupees in Crore)
Upto 25,000	10.00
25,001-75,000	20.00
75,001-1,50,000	30.00
1,50,001- 5,00,000	50.00
5,00,001 and above	100.00"

[F. No. TFC-04-2016] NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R- 165(E), dated the 23rd February, 2017 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017, G.S.R. 251(E), dated the 20th March, 2018, G.S.R. 782(E), dated the 21st December, 2020 and G.S.R. 786(E), dated the 3rd November, 2021.